यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, डोईवाला द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, डोईवाला के माह 12/2015 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 12/08/2017 से 23/08/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्णका लक पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 12/2015 से 07/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः अनुरक्षण का कार्य जनपद देहरादून के अन्तर्गत व भन्न राष्ट्रीय राजमार्ग। (NH-72 (New-07), NH-58, NH-707A, NH-723

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	-	-	3435266.00	3435266.00				
2016-17	-	-	29651802.00	29414729.00				237073.00

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव उत्तराखंड शासन, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, रा.मा. लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, रा.मा., लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता, रा.मा., लो.नि. व., उत्तराखण्ड

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, डोईवाला को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, डोईवाला की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 06/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। Construction of 4 lane POB in Km 165 on NH 72 at Mohkanpur Railway crossing at Dehradun का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण कया गया।
3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा र्षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा र्षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/17 तथा ..... तक की गई।

4. फार्म 51: माह 07/17 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - (-) 3799775/-

   भाग द्वतीय - ₹ 1631531/-

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 07/17 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रम - ₹ शून्य

   (ख) सामग्री क्रय – शून्य

   (ग) नगद परिशोधन - शून्य

   (घ) निक्षेप- ₹ 18,13,26,851/-

   (ङ) भण्डार- ₹ 17,14,601/-

भाग 2 ब

प्रस्तर 1: अपूर्ण कार्य के निष्पादन के उपरांत भी वभागीय श थलता के कारण क्षतिपूर्ति ठेकेदार से वसूली कए बिना ही बैंक गारंटी ` 59.41 लाख की ठेकेदार को अवमुक्त होना।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (नया नंबर 07) के कमी० 156 से 161 (आई एस बी टी से अजबपुर रेलवे क्रा संग) मे मार्ग के दो लेन से चार लेन चोड़ीकरण कार्य के लए प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति भारत सरकार द्वारा लागत `2042.44 लाख (जॉब संख्या एन० एच० 72 नया 07-**UR-2011-12-279**)की प्राप्त हुई थी। कार्य के निष्पादन हेतु मेसर्स अमृत ड़वल्लेर्स प्राइवेट ल मटेड के साथ अधीक्षण अ भयन्ता 10 वा व्रत द्वारा अनुबन्ध संख्या 34/SE-एनएचA2-13 दिनांक 04/09/2012 लागत `1188.04 लाख (जिसके अंतर्गत पुल/यु लयो के निर्माण पर `**464.64** लाख, नाली मी डयन के निर्माण पर `**124.58** लाख व सड़क निर्माण पर `**598.82**लाख का कार्य कया जाना था) का अनुबन्ध गठित कया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की ति थ 04/09/2012 व समाप्ति की ति थ 03/03/2014 (18 माह) थी तथा अनुबन्ध के अनुसार कार्य पर 3 माइल स्टोन प्रथम 4 **½** माह मे 25%,9 माह मे 50 % व 18 माह मे 100 % निर्धरित कए गए थे अनुबन्ध के बिन्दु संख्या 40-व बिन्दु 60-के अनुसार ठेकेदार के कार्य अपूर्ण रखने पर अवशेष कार्य पर 20% प्रतिशत का अर्थदण्ड लगाया जाना था।

अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण वभाग, डोईवाला के अ भलेखो की जांच मे पाया गया क अपूर्ण कार्य के निष्पादन मे कुल `235.63 लाख (पुल/यु लयो के निर्माण पर `**23.56** लाख व सड़क निर्माण पर `**212.07** लाख) का व्यय कया गया तथा अनुबन्ध को अधीक्षण अ भयन्ता द्वारा कार्य की काफी धीमी प्रगति होने के कारण 03/5/2014 को निरस्त कया तथा अवशेष कार्य की धनरा श पर अर्थदण्ड `1.89 करोड़ (प्रतिशत 20) लगाया गया जो क कुछ हद तक खण्ड के पास ठेकेदार की जमानत धनरा श/बैंक गारंटी `59.41 लाख जिसकी वैधता 30/8/2012 से 28/05/2014 तक थी से वसूली/समायोजन कया जा सकता था।जो क खण्ड द्वारा नहीं कया गया व ठेकेदार को बैंक गारंटी निकालने का मोका दिया गया। अत: `1.89 करोड़ लाख क क्षतिपूर्ति ठेकेदार से वसूली नहीं गयी है और न ही उक्त वसूली हेतु कार्यालय द्वारा जनवरी 2015 के उपरान्त कोई कारवाही सुनिश्चिति की है। अत: खण्ड द्वारा `1.89 करोड़ क क्षतिपूर्ति धनरा श ऋणात्मक मद मे वसूले जाने हेतु रखी गयी है। इस के अतिरिक्त कार्य के सम्पादन मे प्रस्तुत अ भलेखो के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश मे आये:

- अनुबन्ध मे 3 सेतुओ का निर्माण सम्मि लत था ले कन ठेकेदार के पास सेतु निर्माण का अनुभव नहीं था तथा कार्य स्थल पर अनुभवी अ भयन्ता के अभाव के कारण

9.11.2012 पर मार्ग मे existing सेतु की वग वाल को भी गरा दिया था जिस से उक्त मार्ग पर 2 दिन तक यातायात बा धत रहा था।

- एसबीडी के क्लौज संख्या 27 के अनुसार ठेकेदार द्वारा वर्क प्रोग्राम खण्ड को उपलब्ध नहीं कराया था।
- एसबीडी के क्लौज संख्या 13 के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य पर बीमा भी नहीं कराया था।
- ठेकेदार को black लस्ट कये जाने हेतु मुख्य अ भयन्ता, एन०एच०, लोक निर्माण वभाग, देहारादून को भी नहीं लखा गया था।
- ठेकेदार द्वारा योजित रिट पटिशन संख्या 1190(एसएस)/14 की सुनवाई कए जाने हेतु 18/11/2014 से खण्ड द्वारा कोई कारवाही नहीं की गयी थी।

उपरोक्त के सम्बंध मे इं गत कए जाने पर अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण वभाग,डोईवाला ने अवगत कराया क समस्त अ भलेख अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण वभाग,रूड्की से हस्तगत न होने के कारण इस सम्बंध मे आख्या नहीं दे सकते जब क इस सम्बंध मे अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण वभाग,रूड्की द्वारा इस वषय मे अवगत कराया क समस्त अ भलेख अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण वभाग,डोईवाला को 19 जनवरी 2016 को हस्तगत कये गये है। आगे अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण वभाग,रूड्की द्वारा उपरोक्त तथ्यो को स्वीकार करते हुये यह भी अवगत कराया क कार्य पर वभागीय स्तर से बैंक गारंटी `59.41 लाख अवमुक्त नहीं की गयी है। खंड का उत्तर तरकसंगत नहीं है क्यो क इस सम्बंध मे न तो अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण वभाग,डोईवाला और न ही अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण वभाग,रूड्की लेखा परीक्षा को बैंक गारंटी के खंड मे उपलब्द होने के साक्ष्य दे पाये और यह भी नहीं बता पाया क ठेकेदार को कब व कैसे ` 59.41 लाख की बैंक गारंटी अवमुक्त हुई। इस के साथ साथ यह भी उल्लेखनीय है क इस सम्बंध मे दोनों खण्डो द्वारा कोई एफ० आइ० आर० नहीं कया गया था व कार्य को शीग्र पूर्ण कए जाने हेतु ठेकेदार द्वारा योजित रिट पटिशन संख्या 1190एसएस पर माननीय उच्च न्नायालय से जल्दी सुनवाई कराये जाने हेतु 18/11/2014 से खण्डो द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की है।

अतः वभागीय श थलता के कारण क्षतिपूर्ति ठेकेदार से वसूली कए बिना ही `59.41 लाख की बैंक गारंटी का ठेकेदार को अवमुक्त होना व एस० बी० डी० के क्लाजो का अनुपालन न कये जाने से अपूर्ण कार्य निष्पादन पर कुल `235.63 लाख का व्यय उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 2: मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकोम ल मटिड से रोड कटिंग चार्जेस' निर्धारण मे ` 31.50 लाख की कम वसूली।

लोक निर्माण वभाग द्वारा बनाये गए मोटर मार्गों पर यदि कोई सरकारी / प्राईवेट संस्थान जल निगम / जैसे, दूरसंचार की कंपनी आदि के द्वारा मोटर मार्गों पर केबल पाइप लाइन / बिछाने के लए मोटर मार्गों पर जो कटिंग का कार्य कया जाता है, उसके एवज में मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में धनरा श संबन्धित वभाग दुवारा खण्ड को प्रदान की जाती है। इसकी गणना की दर प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागाध्यक्ष, उत्तराखंड लोक निर्माण वभाग, देहरादून द्वारा 16/5/2011 व 22/9/2016 के अनुसार निर्धारित की जानी है।

अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण वभाग, डोईवाला के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क खण्ड द्वारा राष्ट्रीय राज मार्ग 707 ए के क०मी० 61 से 93 (कुल 33 km) मे'रोड कटिंग चार्जेस' (14-12-16) के 16500 sqm के लये देय धनरा श `127.96 लाख[1] के स्थान पर केवल 12000 sqmके लये `96.46 लाख[2] पर ही निर्धारण कर मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकोम ल मटिड को 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप मे `31.50 लाख की कम वसूली की गयी व लाभ पहुचाया।

उपरोक्त के सम्बंध मे इं गत कए जाने पर खण्ड ने ने तथ्यो को स्वीकार करते हुये अवगत कराया क मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकोम ल मटिड को 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप मे `31.50 लाख की कम वसूली करने हेतु पत्र निर्गत कर दिया गया है। खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अत: गलत निर्धारण/त्रुटि के कारण मैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकोम ल मटिड से रोड कटिंग चार्जेस' के रूप मे कुल ` 31.50 लाख की कम वसूली का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

---

[1](12000sqm@700=`84.00 + 4500 sqm@ 977=43.96 लाख)=`127.96 लाख

[2](7500@700=`52.50 + 4500 sqm@ 977=43.96 लाख)

भाग 2 ब

प्रस्तर 3: अनुबन्ध के अनुसार कार्य पर धीमी प्रगति व एस० बी० डी० के क्लाजो का अनुपालन न कया जाना तथा ठेकेदार के भुगतान देयक से ` **2.39** लाख की रॉयलटी की कटोती न कया जानातथा **नियमों के विपरीत `122.91 लाख का भुगतान**।

क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 707 A के कमी० 165 से 233 कमी० मे चोड़ीकरण / क्षतिग्रस्त कलवर्ट एवं नाली का पुन: निर्माण कार्य हेतु ` 561.76 लाख लागत की प्रशासकीय एवं वतीय स्वीकृति शासनादेश संख्या एनएच -12014/25/ 2016-यू0 आर० -एनएच -IIदिनांक 28/11/2016 द्वारा प्राप्त हुई हैं। कार्य को मेसर्स के **construction** से अनुबन्ध संख्या 49/SE-एनएच-10/2017 दिनांक 16/3/2017 लागत `389.36 लाख के द्वारा कराया जा रहा है। कार्य प्रारम्भ 16/3/2017 व पूर्ण 15/09/2017 को कया जाना है।

अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण वभाग,डोईवालाके अ भलेखो की जांच मे पाया गया क कार्य के निष्पादन मे आति थ (अगस्त 2017)तक 60% के सापेक्ष केवल 11% की प्रगति थी जिसके लए ठेकेदार द्वारा `45.09 लाख का देयक खण्ड को (30 जून 2017)प्रस्तुत कया है जिसका भुगतान आति थ (अगस्त 2017) तक ठेकेदार को नहीं कया गया है जिस कारण से एसबीडी के क्लॉज़ 43 के अनुसार खंड को 12 प्रतिशत वा र्षक दर से ब्याज भी देना पड़ सकता है। इस के अतिरिक्त कार्य के निष्पादन मे:

- एस० बी० डी० के क्लाज़ संख्या 27 के अनुसार ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध मे निर्धारित ile tone के अनुसार ork rogramme खण्ड को उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही खण्ड द्वारा इसको प्राप्त कए जाने हेतु कोई प्रयास कया गया है।
- एस० बी० डी० के क्लाज़ संख्या 13 के अनुसार कार्य का बीमा नहीं कराया गया है।
- अनुबन्ध के अनुसार अब तक (प्रथम 2 माह मे 20%, 4 माह मे 60% व 6 माह मे 100%) मे 90% धनरा श का कार्य पूर्ण कया जाना था परन्तु 5 माह से अ धक का समय होने के पश्चात भी अभी तक 11% कार्य भी नहीं कया गया है। इस के अतिरिक्त ठेकेदार से कार्य को समयान्तर्गत सम्पादित न कए जाने हेतु खण्ड द्वारा कोई पत्राचार अथवा अर्थदण्ड ठेकेदार के देयक से नहीं काटा है।

- ठेकेदार द्वारा `45.09 लाख का देयक खण्ड को प्रस्तुत कया गया है जिसमे रॉयलटी की कटोती`2.39लाख नहीं की गयी है।

ख)राजमार्ग सं0–72 के किमी0 165 मोहकमपुर में `ओवरब्रिज की स्वीकृति सड़क परिवहन एव ंराजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक एन0एच0 12037/34/2014 यू0आर0एन0एच0 2 दिनांक 20.06.2014 द्वारावार्षिक योजना 2014–15 में अनुमोदित हुआ था। जिसके अनुपालन में इस कार्य का आगणन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को माह जुलाई 2014 को प्रेषित किया गया था।मंत्रालय के पत्रांकRW-NH-12014/Uttarakhand (1)/2014-S&R (B) दिनांक 19.11.2014 द्वारा आगणन में रेलवे भाग को सम्मिलित करने हेतु निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में विस्तृत आगणन गठित किया गया कार्य के निष्पादन हेतु M/s Ram Kumar Contractor के साथ मुख्य अ भयन्ता , रा0मा0एवं सेतु (ग0क्षे0) द्वारा अनुबन्ध संख्या /02CE&B/2016दिनांक 190/7201/6 लागत रू 430000000.00 का अनुबन्ध गठित कया। अनुबन्ध के अनुसार कार्य प्रारम्भ की ति थ 190/7201/6 व समाप्ति की ति थ 180/7201/8) 24 माह थी (

अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., डोईवाला के अ भलेखो के अनुसार कार्य निष्पादन मे आति थ (अगस्त 2017) तक कुल 26.138% की प्रगति है.ठेकेदार को द्वतीय चल देयक से `1246.86 लाख का भुगतान) 22 जून (2017खण्ड द्वारा कया गयाथा | इस के अतिरिक्त कार्य के निष्पादन मे:

- ठेकेदार द्वारा निर्धारित ile tone के अनुसार ork rogramme खण्ड को उपलब्ध नहीं कराया गया।
- ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध मे निर्धारित क्लाज के अनुसार कार्य का बीमा 4 वर्ष के लए कराया जाना चाहिये जब क केवल 2 वर्ष के लए ही कराया गया है तथा ठेकेदार द्वारा कार्य के बीमा में section II Third Party liability के अन्तर्गत केवल limit of indemnity in respect of any **one accident** or series of accidents arising out of **one event** का कवरेज दिया गया हैं।जबकि इसे पूर्ण समय के लिये comprehensive (more than one occasion) होना चाहिये
- ठेकेदार से बैंक गारंटी केवल 2 वर्ष की वैधता की प्राप्त की गयी थी जबकि अनुबन्ध के क्लाज के अनुसार इसकी वैधता 4 वर्ष की होनी चाहिये थी
- अनुबन्ध के अनुसार अब तक (प्रथम 8 माह मे 20%,12 माह मे 50%, 18 माह मे 70% व 24 माह मे 100%) मे 50% धनरा श का कार्य पूर्ण कया जाना था परन्तु 13 माह से अ धक का समय होने के पश्चात भी अभी तक केवल26% कार्य ही कया गया था इसके अतिरिक्त ठेकेदार से कार्य को समयान्तर्गत सम्पादित न कए जाने हेतु खण्ड द्वारा कोई पत्राचार अथवा अर्थदण्ड ठेकेदार के देयक से नहीं काटा गया था

- ठेकेदार को द्वतीय चल देयक तक `1246.86 लाख का भुगतान (22 जून 2017) खण्ड द्वारा कया गया है, जिसमे रॉयलटी की कटोती नहीं की गयी
- रू0 122.91 लाख का भुगतान भारत सरकार द्वारा Change of scope कार्य हेतु भुगतान नियमों (क्लाज 4 ए सर्विस रोड ड्रेन का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ही भुगतान किया जाय) के विपरीत किया गया, क्योकि उक्त कार्य पर मात्र 9.18 प्रतिशत ही कार्य किया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध मे इंगत कए जाने पर खण्ड ने तथ्यो को स्वीकार करते हुये अवगत कराया क एस० बी० डी० के क्लाजो का अनुपालन व अन्य बिन्दु पर कारवाही सुनिश्चित की जायेगा।खण्ड का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

अत:दोनों कार्य पर अनुबन्ध के अनुसार धीमी प्रगति, ठेकेदार के भुगतान देयक से `2.39लाख की रॉयलटीकटोती न कया जाना व समय पर ठेकेदार के देयक का भुगतान एस०बी०डी० के क्लॉज़ 43 के अनुसार नहीं कया जाने व `122.91 लाख का भुगतान भारत सरकार द्वारा Change of scope कार्य हेतु भुगतान नियमों के विपरीतकिया जाने का प्रकरण उच्च अ धकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर- 4: वेतन निर्धारण में वसंगति के कारण ₹4.52लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) का अ धक वेतन भुगतान |

अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., डोईवाला के अ भलेखों की जांच में पाया गया हैं श्री मोहन संह चौहान , अपर सहायक अ भयंता एवं श्री अर वंद प्रताप संह, अपर सहायक अ भयंता की नियु क्त कनिष्ठ सहायक के पद पर2004 मे नियु क्त हुई थी तथा दोनों अ धकारियो की पदोन्नति अपर सहायक अ भयन्ता के पद पर मार्च 2011 को हुई|

उपरोक्त दोनों अ धकारियो की पदोन्नति एक ही वर्ष में अपर सहा.अ भयंता के पद पर हुई थी परन्तु मार्च 2011में अपर सहा.अ भयंता के पद पर पदोन्नति के बाद से वेतन निर्धारण में भन्नता पायी गयी हैं| उक्त अ धकारियो के सेवा पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया क पदोन्नति के बाद के वेतन का निर्धारण कस आधार पर व कस शासनादेश के अन्तर्गत कया गया था का उल्लेख नहीं कया गया था|

श्री मोहन संह चौहान , अपर सहायक अ भयंताको पदोन्नति पर मूल वेतन क्रमश: ₹18750/=दिया गया जब क श्री अर वंद प्रताप संह, अपर सहायक अ भयंता को वेतन आयोग के अनुसार ₹17080/= दियागया था। इस प्रकार मार्च2011को मूल वेतन ₹17080/= निर्धारित करने पर मार्च 2011से जुलाई 2017 तक श्री मोहन संह चौहान , अपर सहायक अ भयंताको कुल ₹4.52 लाख (केवल मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) अ धक वेतन भुगतान कया गया|

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क श्री मोहन संह चौहान , अपर सहायक अ भयंता का वेतन निर्धारण अ धशासी अ भयंता, प्रांतीय खंड, लो. नि. व.,उत्तरकाशी द्वारा कया गया हैं। तथा वही से सही वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जा रही हैं।
अत: श्री मोहन संह चौहान , अपर सहायक अ भयंता,पर₹4.52लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) की अ धक वेतन दिए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1: उपखनिजो पर 7.85 लाख की कम रायल्टी वसूला कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी, 2016, 842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016 के अ धसूचना का स्तम्भ-1 में उल्लि खत उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्था पत /संशो धत कया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लि खत था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

उक्त के परिप्रेक्षय में अ धशासी अ भयन्ता,राष्ट्रीय राजमार्ग खंड, लो. नि. व., डोईवाला के संबं धत अ भलेखों, माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाण को की नमूना जॉच में पाया गया क खण्ड द्वारा संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती मार्च 2016,से जुलाई 2017 मे नहीं की गयी थी। अ धसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर दिनांक- 26.02.2016 से 18मई 2016 तक`194.50 तथा 19 मई 2016 सेअब तक 154.00 प्रति घन मीटर संशो धत /वृद् ध कया गया था। अगर खण्ड द्वारा संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो `7.85 लाख रायल्टी के रूप में और राजस्व प्राप्त होती अर्थात (12.07-`4.22 लाख= 7.85 लाख) की राजस्व की कम वसूली हुई है।

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क त्रुटिवंश कटौती नही हुए हैं। तथा शासनादेश की अनुपलब्धता के कारण ऐसा हुआ यदि वसूली बीजको से संभव नही हुए तो जिला धकारी के माध्यम से डपॉज़िट मे जमा धनरा श से की जायेगी। खण्ड का उत्तर मान्य नही है क्यों क अ धसूचना मे यह स्पष्टतः उल्लि खत था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी तथा सभी कार्यालयों को राज्य सरकार के द्वारा द्रुतगामी उपकरणों जैसे फैक्स, ई-मेल आदि से सुसज्जित कया गया है अतः संशो धत दरों से ही रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए थी।

अत: `7.85 लाख रायल्टी की कम वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा			

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
				-

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, डोईवाला तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) शून्य

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0 नाम पदनाम

(i) श्री महिपाल संह रावत, अ ध. अ भ. 11/10/2015 से अब तक

(ii) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री एस. एस. चौहान (गठऩ से 30/07/2016 तक)
2. श्री एस.जी.पाठक (31/07/2016 से अब तक)

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण वभाग, डोईवाला को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II